निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 216 / 2020

तारीख दायरा 19.11.2020

उनवान

प्रेमलता पत्नी श्री नवल किषोर जाति महाजन निवासी कस्बा सांगोद तहसील जिला कोटा राजस्थान।

—वादिनी

बनाम

1. शांति पत्नि परमानन्द जाति धाकड,
2. मनोहर परमानन्द जाति धाकड,
3. रामकुमार परमानन्द जाति धाकड,
4. गायत्री पुत्री परमानन्द जाति धाकड,
5. लक्ष्मी पुत्री परमानन्द जाति धाकड निवासीगण ग्राम श्यामपुरा हाल निवासी कच्ची बस्ती प्रेमनगर रंगबाडी कोटा जिला कोटा राजस्थान पिन कोड नं0 324005।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा राजस्थान। — प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी. एक्ट 1955

उपस्थित :—

श्री सत्येन्द्र कुमार गुप्ता (वकील वादीगण)

दिनांक :— 06.10.2021

—निर्णय—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये [illegible] वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम डंडिया पटवार हलका कुराडियाखुर्द तहसील सांगोद [illegible] माल में खसरा नं0 92 की 2.74 हैक्टर आराजी स्थित थी। उक्त वर्णित आराजी का राज [illegible] से माननीय न्यायालय की डिकी से खाता पृथक–पृथक कर उक्त वर्णित आराजी के क्रमशः खसरा नं0 92 की 0.35 हैक्टर, खसरा नं0 92/1 की 0.97 हैक्टर तथा खसरा नं0 92/2 की 1.62 हैक्टर आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2022.02.17 15:22:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

कायम की गई। खसरा नं0 92 की 0.35 हैक्टर आराजी आपसी पारिवारिक विभाजन में माननीय न्यायालय की डिक्री से दर्ज की गई थी जो परमानन्द पुत्र माधो के नाम दर्ज की गई थी तथा डिक्री पारित करते समय डिक्री के आधार पर परमानन्द पुत्र माधो ने अपने खाते में प्राप्त होने वाली आराजी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 11.05.2005 को वादिनी को विक्रय कर दी गई तथा बेचान की रकम प्राप्त कर आराजी पर कब्जा वादिनी को दे दिया गया था।

ग्राम डंडिया पटवार हलका कुराडियाखुर्द की खसरा नं0 92/2 वक्त डिक्री के समय जो दिया गया था उसमें खसरा नं0 92/2 के स्थान पर खसरा नं0 92 कायम कर दिये गये थे तथा खसरा नं0 92 की 0.35 हैक्टर आराजी सेटलमैन्ट के समय परमानन्द के खाते दर्ज कर दी गई थी। जो आज भी परमानन्द के खाते में चली आ रही है। जबकि उक्त वर्णित आराजी खसरा नं0 92/2 की 0.35 हैक्टर आराजी वादिनी को विक्रय कर बेचान की रकम प्राप्त कर कब्जा दे दिया गया था। वादिनी की असल विक्रय विलेख वादिनी ने नामान्तरण दर्ज करवाने के लिये पटवार हलका को दे दिया गया था परन्तु पटवारी हलका द्वारा उक्त आराजी का इन्तकाल दर्ज नहीं किया तथा उक्त विक्रय विलेख कहीं खो दिया जिससे उक्त आराजी का नामान्तरण दर्ज नहीं हो सका तथा इसी बीच सेटलमैन्ट हो जाने से सेटलमैन्ट अधिकारियो ने खसरा नं0 92/2 की 0.35 हैक्टर के स्थान पर खसरा नं0 92 की 0.35 हैक्टर आराजी दर्ज कर दी गई। जब वादिनी ने विक्रय विलेख की नकल प्राप्त कर नामान्तरण दर्ज करवाने हेतु पटवारी हलका विक्रय विलेख में खसरा नं0 का गलत हवाला देकर विक्रय विलेख का नामान्तरण दर्ज करने से साफ इन्कार कर दिया। जिससे वादिनी के लिए आवश्यक हो गया कि वह खसरा नं0 92 की 0.35 हैक्टर आराजी के बाबत खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में अपना बहैसियत खातेदार कृषक घोषित करवावे जिसके लिए उक्त वाद प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादी स्वीकार कर निम्न आशय की डिक्री सादिर फरमाई जावे कि :—

ग्राम डंडिया की खसरा नं0 92 की 0.35 हैक्टर आराजी मे परमानन्द का नाम हटाया जाकर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे इसी प्रकार अमल दरामद फरमाया जावें।

वादीगण की ओर से वाद प्रस्तुत होने पर वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. [illegible] बावजूद सूचना समस्त प्रतिवादी न्यायालय हाजा में अनुपस्थित रहे [illegible] कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादी द्वारा एकतरफा बहस की गई [illegible] वादपत्र अनुसार वाद स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2022.02.17 15:22:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद जिला कोटा

मेरे द्वारा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। वकील वादी की बहस एकतरफा एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड, दस्तावेजात, नकल जमाबन्दी, विक्रय विलेख पत्र आदि का सूक्ष्मतम अवलोकन व मनन करने के उपरान्त दावा वादीगण स्वीकार किया जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि–

ग्राम डंडिया की खसरा नं0 92 की 0.35 हैक्टर आराजी में परमानन्द का नाम हटाया जाकर वादिनी प्रेमलता पत्नि नवलकिशोर को खातेदार कृषक घोषित किया। उक्त घोषणा के अनुक्रम में इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक का चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करें। नियमानुसार डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 06.10.2021 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2022.02.17 15:22:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी सांगोद

फर्द डिक्री मुकदमात इब्तदाई

आर.रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 216/2020 तारीख दायरा 19.11.2020

उनवान

प्रेमलता पत्नी श्री नवल किषोर जाति महाजन निवासी कस्बा सांगोद तहसील जिला कोटा राजस्थान। –वादिनी

बनाम

7. शांति पत्नि परमानन्द जाति धाकड,
8. मनोहर परमानन्द जाति धाकड,
9. रामकुमार परमानन्द जाति धाकड,
10. गायत्री पुत्री परमानन्द जाति धाकड,
11. लक्ष्मी पुत्री परमानन्द जाति धाकड निवासीगण ग्राम श्यामपुरा हाल निवासी कच्ची बस्ती प्रेमनगर रंगबाडी कोटा जिला कोटा राजस्थान पिन कोड नं0 324005।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा राजस्थान। – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी. एक्ट 1955

उपस्थित :–

श्री सत्येन्द्र कुमार गुप्ता (वकील वादीगण) दिनांक :– 06.10.2021

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री सत्येन्द्र कुमार गुप्ता मिन जानिब मुदई [illegible] श्री ..... मि[illegible] पेश होकर आदेश दिया जाता है कि–

ग्राम डंडिया की खसरा नं0 92 की 0.3[illegible] हेक्टर आराजी मे[illegible] [illegible]न्द का नाम हटाया जाकर वादिनी प्रेमलता पत्नि नवलकिशोर को खातेदार कृषक घोषित [illegible]या। उक्त घोषणा के अनुकम में इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। विवादित आराजी पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2022.02.17 15:22:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

रहन भार होने की स्थिति में बैंक का चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करें।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी, सागोद

निर्णय आज दिनांक 06.10.2021 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2022.02.17 15:22:43 IST
Reason: SelfAttested

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी, सागोद